लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ़

क्रमांक/विद्या/प्राथ0एवं पूर्व मा0परीक्षा/2007/ रायपुर, दिनांक /1/08

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय :– प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक प्रमाण परीक्षा सन् 2008 बाबत।

सन्दर्भ :– छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर का ज्ञाप क्रमांक 9820/2624 दिनांक 5–12–07।

———————

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व माध्यमिक परीक्षा नियमावली 1980 (जो यथा संशोधन दिनांक 5–10–1999 के पश्चात पूर्व माध्यमिक परीक्षा व प्राथमिक परीक्षा [कक्षा 5वीं एवं 8 वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा] नियम, 1999 के नाम से जानी जाती हैं) के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रचलित नियमावली में आवश्यक संशोधन स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये किये जावे । प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिये शासन निर्देशानुसार तात्कालिक रूप से ''पूर्व माध्यमिक परीक्षा व प्राथमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा नियम – 1999 में केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थी हेतु अलग से निम्न लिखित संशोधन किये जाते हैं :–

1– पूर्व माध्यमिक परीक्षा एवं प्राथमिक प्रमाण–पत्र अनुसार नियमावली प्रति स्थापित की जाती हैं :–

(1) (अ) यह नियम नियमित शाला के विद्यार्थियों के लिये लागू नहीं होंगे। यह केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये ही लागू होगा ।

(ब) परीक्षा की व्यवस्था के लिये जिलास्तरीय सक्षम समिति होगी । इस समिति का संगठन निम्नानुसार होगा :–

1. जिले के कलेक्टर – पदेन अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग – सदस्य
4. सचिव, जिला साक्षरता समिति – सदस्य
5. जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य सचिव

टीप :– समिति का कोरम 3 सदस्यों का होगा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे।

(6) (ख) {1} ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संबंधित परीक्षा वर्ष की पहली जनवरी को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुका हो, वह स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में प्राथमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा ।

(6) (ख) {2} ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संबंधित परीक्षा की पहली जनवरी को 15 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुका वह स्वाध्यायी परीक्षर्थी के रूप में सिम्मिलित हो सकेगा ।

(6) (ख) {3} जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में सरपंच/स्थानीय पार्षद द्वारा प्रदत्त आयु संबंधी मूल प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(6) (ख) {4} सत्र के मध्य में पाठ्यक्रम बदलने की स्थिति में नये अथवा पुराने पाठ्यक्रम से या सम्मिलित पाठ्यक्रम से परीक्षा देने की नीति सक्षम समिति तय करेगी।

निरंतर–2 पर

पूर्व पृष्ठ से :– (2)

(8) (1) परीक्षा शुल्क :– परीक्षा शुल्क की दर अथवा शुल्क माफ करने का निर्णय सक्षम समिति द्वारा लिया जावेगा। शुल्क हेतु निर्णय लेते समय परीक्षा निधि की उपलब्धता तथा परीक्षा के वास्तविक खर्च को ध्यान में रखा जावेगा।

(11) (4) स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये के लिए प्राथमिक / माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।

(11) (5) नये परीक्षार्थियों के लिये अलावा उपरोक्त परीृक्षा में पूर्व की परीक्षा में एक या उससे अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेगें । किन्तु सम्पूर्ण परीक्षा 3 अथवा छः अवसरों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा इस सीमा में उत्तीर्ण न हो सकने वाले परीक्षार्थियों को फिर से सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी ।

उपरोक्त संशोधन पूर्व माध्यमिक /प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा तथा नियमावली में समय–समय पर संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित आदेशों से किये गये गये संशोधन के साथ यह नियमावली वर्ष 2008 व आगामी परीक्षओं के लिये तब तक प्रभवशील रहेगी, जब तक इसे निरस्त कर अन्य कोई नियमावली जारी नहीं की जाती है । उपरोक्त पदों में दर्शाये गये संशोधन के अतिरिक्त पूर्व माध्यमिक /प्राथमिक प्रमाण –पत्र परीक्षा नियमावली 1980 में वर्णित प्रक्रिया, कार्य व नियम पूर्ववत् प्रभावशील रहेंगे । प्राथमिक प्रमाण–पत्र परीक्षागह के लिये भी उपरोक्त पद (1) (ब) में उल्लेखित सक्षम समिति ही परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी ।

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ़

क्रमांक / विद्या / प्रा0एवं पूर्व मा0परीक्षा / 2007 / रायपुर, दिनांक / 1 / 08

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक / 9820 / 2624 दिनांक 5–12–07 के सन्दर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग,मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़, रविशंकर विश्व विद्यालय परिसर, रायपुर।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर।
6. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर।
7. समस्त जिलाध्यक्ष, छ0ग0
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ

क्रमांक/बिद्या/08/डी/03/ रायपुर दिनांक

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा जिला छत्तीसगढ ।

विषयः प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा संबंधी ।

संदर्भः लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा /2007/
15 रायपुर दिनांक 11.01.08 एवं संशोधन आदेश क्रमांक /विद्या/प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा /08/302 रायपुर दिनांक 05.06.08

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के द्वारा प्रदेश में आयोजित होने वाली '' पूर्व माध्यमिक परीक्षा व प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा नियम 1999 '' में संशोधन किये गये है ।

प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा नियम 1999 में संचालनालय द्वारा प्रसारित संशोधन आदेश क्रमांक /विद्या/प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा /2007/302 रायपुर दिनांक 05.06.08 की कंडिका 11(4) में '' स्वाध्यायी/नियमित परीक्षार्थियों के लिये प्राथमिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जा सकेगी '' पढा जावें ।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षाओं में जिन विषयों में छात्र–छात्रायें अनुतीर्ण है केवल उन्ही विषयों की परीक्षा छात्र–छात्राओं को देनी होगी ।

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी ।

उपरोक्त निर्देशों को समस्त संबंधितों को प्रसारित किया जावें ।

आयुक्त लोक शिक्षण
छत्तीसगढ

पृ0क्रमांक/बिद्या/08/डी/03/ रायपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव ,माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी,छ0ग0 शासन,मंत्रालय,दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

2 सचिव,छ0ग0 शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय.,दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

3 सचिव,छ0ग0 शासन,आदिम जाति विकास विभाग ,मंत्रालय.,दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

4 आयुक्त आदिम जाति,अनूसूचित जन जाति विकास विभाग छत्तीसगढ रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर रायपुर ।

5 संचालक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर ।

6 मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर ।

7 समस्त जिलाध्यक्ष छ0ग0

8 समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

आयुक्त लोक शिक्षण
छत्तीसगढ

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ

क्रमांक/विद्या/प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा/08/ रायपुर दिनांक
प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा जिला छत्तीसगढ

विषयः प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा सन 2008 बाबत ।

संदर्भः लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा /2007/15 रायपुर दिनांक 11.01.08

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा प्रदेश में आयोजित होने वाली '' पूर्व माध्यमिक परीक्षा व प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा नियम – 1999 '' में संशोधन केवल स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये किये गये है ।

छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब उक्त नियम स्वाध्यायी छात्र–छात्राओं के साथ ही नियमित छात्र–छात्राओं पर भी लागू होगें ।

अतः संदर्भित आदेश में कंडिका बार संशोधन किया जाकर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

1– पूर्व माध्यमिक परीक्षा एवं प्राथमिक प्रमाण पत्र अनुसार नियमावली प्रति स्थापित की जाती है :–

कंडिका 1(अ) यह नियम नियमित शाला के विद्यार्थियों के साथ ही स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये लागू होगा ।

कंडिका (6) ख (1) में '' जो व्यक्ति किसी स्कूल से नियमित विद्यार्थी के रूप में प्राथमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा दे चुका हो वह नियमित परीक्षार्थी होगा '' ।

कंडिका (6) ख (2) में उपरोक्त के अलावा '' जो व्यक्ति किसी स्कूल से नियमित विद्यार्थी के रूप में पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा दे चुका हो वह नियमित परीक्षार्थी होगा '' ।

कंडिका 11(4) स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्राथमिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष में चार बार आयोजित की जा सकेगी ।

30 सितम्बर के बाद धोषित परीक्षा परिणामों में पास होने वाले नियमित विद्यार्थियों को उसी सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नही होगी ।

शेष नियम एवं शर्ते पूर्ववत रहेगी ।

आयुक्त लोक शिक्षण
छत्तीसगढ

पृ0क्रमांक / विद्या / प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक परीक्षा / 08 / रायपुर दिनांक
प्रतिलिपिः—

1 निज सचिव माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर की और सूचनार्थ प्रेषित है ।
2 सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह, भवन रायपुर की और सूचनार्थ प्रेषित है ।
3 सचिव छ0ग0 शासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर की और सूचनार्थ प्रेषित है ।
4 आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर रायपुर ।
5 संचालक ,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,शंकर नगर रायपुर ।
6 मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छ0ग0 रायपुर ।
7 समस्त जिलाध्यक्ष छ0ग0 ।
8 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छ0ग ।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

आयुक्त लोक शिक्षण
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 11.06.
08

क्रमांक एफ 5–17/2007/20– एक राज्य शासन एतद व्दारा माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापकों के पद को राजपत्रित अधिकारी, व्दितीय श्रेणी घोषित करता है। किन्तु ये आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य नहीं करेंगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विलियम कुजूर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग